न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र भाडखा

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
वीराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर।		1.करनाराम पुत्र कुटलाराम 2. नखताराम पुत्र समरथाराम 3. स्वरूपाराम पुत्र मंगलाराम 4. सवाईराम पुत्र खींमाराम 5. ताराराम पुत्र खींमाराम 6. हुकमाराम पुत्र हीराराम जातियान कम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या–173/2021 **दिनांक–26.10.2021**

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नारणाणियों की ढाणी, भाडखा, पटवार क्षेत्र भाडखा, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 185/89 रकबा 62.02 बीघा, खसरा नम्बर 329/89 रकबा 17.12 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6409-6412 दिनांक– 19/11/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाहीं पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी वीराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार, निवासी नारणाणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी करनाराम पुत्र कुटलाराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी नारणाणियों की ढाणी भाडखा, तहसील व जिला बाड़मेर।

R/c
1 से 3

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर